झारखण्ड सरकार

**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।**

सं० सं०– निदे०/खाद्य/वि०–25/2012 39 (16) रॉंची, दि० : 25.07.2012

प्रेषक,

के० विद्यासागर,
प्रधान सचिव–सह–राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त।

सेवा मे,

सभी उपायुक्त–सह–एडजूडीकेटिंग ऑफीसर,
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–अभिहित पदाधिकारी,
सभी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,
झारखण्ड।

विषय : राज्य में गुटखा एवं पानमासाला को प्रतिबंधित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि :–

1. अधिसूचना संख्या–37(16) दिनांक–25.07.2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गुटखा एवं पानमासाला जिसमें टूबैको एवं निकोटीन का उपयोग किया गया हो, के उत्पादन, संग्रहण, वितरण एवं विक्रय पर तत्कालिक प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
2. The Food Safety and Standards Act, 2006 के अन्तर्गत इस आदेश के उल्लंघन करने पर दण्ड का भी प्रावधान है।
3. आप अवगत है कि यह प्रतिबंध मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर लगाया गया है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार इस प्रतिबंध के प्रति काफी गंभीर है।
4. इस अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आप उत्तरदायी है।

अतः विषय की महत्ता एवं गंभीरता को देखते हुए अनुरोध है कि अधिसूचना के अनुरूप गुटखा एवं पानमासाला जिसमें टूबैको एवं निकोटीन का उपयोग किया गया हो, के उत्पादन, संग्रहण, वितरण एवं विक्रय पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे तथा इसके उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कडी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराएँगे।

विश्वासभाजन

25/7/12

(के० विद्यासागर)
प्रधान सचिव–सह–राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त

ज्ञापांक : निदे०/खाद्य/वि०–25/2012 39 (16) रॉंची, दि० : 25.07.2012

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/पुलिस महानिदेशक–सह–महानिरीक्षक, झारखण्ड/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/निदेशक प्रमुख, खाद्य नियंत्रण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/12

(के० विद्यासागर)
प्रधान सचिव–सह–राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त